रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244076 CG-DL-E-02032023-244076

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] No. 127] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2023/फाल्गुन 11, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2023/PHALGUNA 11, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

सं. 01/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.िन. 163(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 3 के उपनियम (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उप-धारा (2) के उपवाक्य (इ) और (च), के साथ पिठत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के उपवाक्य (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवम् सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचनाओं में आगे निम्नलिखित और भी संशोधन करता है, यथा :-

- 1. अधिसूचना सं. 38/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 जून, 2001, की तालिका में, -
- (i) क्र.सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

1443 GI/2023 (1)

क्र.सं.	अधिकारी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
"1.	माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय के अधिकारी, यथा:- 1. प्रधान महानिदेशक 2. महानिदेशक 3. प्रधान अपर महानिदेशक 4. अपर महानिदेशक 5. अपर निदेशक 6. संयुक्त निदेशक 7. उप निदेशक या सहायक निदेशक 8. वरिष्ठ आसूचना अधिकारी या अधीक्षक या अपर सहायक निदेशक 9. आसूचना अधिकारी या निरीक्षक	प्रधान मुख्य आयुक्त मुख्य आयुक्त प्रधान आयुक्त आयुक्त अपर आयुक्त संयुक्त आयुक्त उपायुक्त या सहायक आयुक्त अधीक्षक

(ii) क्र.सं. 2 में, कॉलम (2) में, महानिदेशालय (सतर्कता) के अधिकारियों से संबंधित शब्दों "अधीक्षक", के स्थान पर "अधीक्षक या अपर सहायक निदेशक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्र.सं. 3 में, कॉलम (2) में, राजस्व आसूचना महानिदेशालय के अधिकारियों से संबंधित शब्दों "विरष्ठ आसूचना अधिकारी", के स्थान पर "विरष्ठ आसूचना अधिकारी या अपर सहायक निदेशक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्र.सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

क्र.सं.	अधिकारी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
"5.	निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के अधिकारी, यथा:- 1. महानिदेशक 2. प्रधान अपर महानिदेशक 3. अपर महानिदेशक 4. अपर निदेशक 5. संयुक्त निदेशक	मुख्य आयुक्त प्रधान आयुक्त आयुक्त अपर आयुक्त संयुक्त आयुक्त उपायुक्त या सहायक आयुक्त अधीक्षक

6. उप निदेशक या सहायक निदेशक	
7. वरिष्ठ आसूचना अधिकारी (श्रेणी- प्रथम और द्वितीय)	निरीक्षक";
या अपर सहायक निदेशक	
8. निरीक्षक	

(v) क्रम संख्या 6 में, कॉलम (2) में, सांख्यिकी एवम् आसूचना निदेशालय के अधिकारियों से संबंधित, शब्दों "सहायक निदेशक अनुसंधान एवम् किनष्ठ विश्लेषक", के स्थान पर " सहायक निदेशक अनुसंधान एवम् किनष्ठ विश्लेषक या अपर सहायक निदेशक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. अधिसूचना सं. 28/2008-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 जून, 2008, में तालिका में, क्र.सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां सिम्मलित की जाएंगी, यथा:-

क्र.सं.	अधिकारी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है
(1)	(2)	(3)
"7क.	अपर सहायक निदेशक	अधीक्षक"।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं. CBIC-110267/100/2022-CX-VIII अनुभाग- सीबीईसी] रूबल सरोहा, अवर सचिव

टिप्पणी:

- 1. प्रधान अधिसूचना सं. 38/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 जून, 2001 को सा.का.िन 467(अ), दिनांक 26 जून, 2001, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2017 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मार्च, 2017 सा.का.िन. 238 (अ) दिनांक 14 मार्च 2017 के द्वारा संशोधन किया गया था।
- 2. प्रधान अधिसूचना सं. 28/2008- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 जून, 2008 को सा.का.िन 431 (अ), दिनांक 5 जून, 2008, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2014- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितंबर, 2014 सा.का.िन. 652 (अ) दिनांक 16 सितंबर, 2014 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2023

No. 01/2023 -CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 163(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Central Excise Rules, 2017 read with clause (e) and (f) of subsection (2) of section 174 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Board of Indirect Taxes and Customs makes the following further amendments in notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

- (1) In the notification no. 38/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, in the Table, -
 - (i) for Sl. No. 1 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

Sl. No.	Officers	Rank of Officer of Central Excise
(1)	(2)	(3)
"1.	Officers of the Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence, namely: - 1.Principal Director General 2.Director General 3.Principal Additional Director General 4.Additional Director General 5.Additional Director 6.Joint Director 7.Deputy Director or Assistant Director 8.Senior Intelligence Officer or Superintendent or Additional Assistant Director 9.Intelligence Officer or Inspector	Principal Chief Commissioner Chief Commissioner Principal Commissioner Commissioner Additional Commissioner Joint Commissioner Deputy Commissioner or Assistant Commissioner Superintendent Inspector";

- (ii) in Sl. No 2, in Column (2), related to Officers of Directorate General (Vigilance), for the words "Superintendent", the words "Superintendent or Additional Assistant Director" shall be substituted;
- (iii) in Sl. No 3, in Column (2), related to Officers of Directorate General of Revenue Intelligence, for the words "Senior Intelligence Officer", the words "Senior Intelligence Officer or Additional Assistant Director" shall be substituted;
- (iv) for Sl. No.5 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Officers	Rank of Officer of Central Excise
(1)	(2)	(3)
"5.	Officers of the Directorate General of Performance Management (Customs, Central Excise and Service Tax) namely:- 1. Director General 2. Principal Additional Director General 3. Additional Director General 4. Additional Director 5. Joint Director 6. Deputy Director or Assistant Director	Chief Commissioner Principal Commissioner Commissioner Additional Commissioner Joint Commissioner Deputy Commissioner or Assistant Commissioner

7. Senior Intelligence Officer (Class I and Class II) or Additional Assistant Director	Superintendent
8. Inspector	Inspector";

- (v) in Sl. No 6, in Column (2), related to the Officers of Directorate of Statistics and Intelligence, for the words "Assistant Director Research and Junior Analyst", the words "Assistant Director Research and Junior Analyst or Additional Assistant Director" shall be substituted.
- 2. In the notification no. 28/2008- Central Excise (N.T.) dated 5^{th} June, 2008, in the Table, after Sl. No. 7 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely: -

Sl. No.	Officers	Central Excise Officers whose powers are to be exercised
(1)	(2)	(3)
"7A.	Additional Assistant Director	Superintendent".

3. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[No. CBIC-110267/100/2022-CX-VIII SECTION-CBEC]

RUBAL SAROHA, Under Secy.

Note:

- 1. The principal notification No. 38/2001- Central Excise (N.T.), dated 26th June, 2001 was published in the Gazette of India, vide G.S.R. 467(E), dated the 26th June, 2001 and was last amended vide notification No. 06/2017 Central Excise (N.T.), dated 14th March, 2017 published in the Gazette of India, vide G.S.R. 238 (E), dated 14th March 2017.
- 2.The principal notification No. 28/2008- Central Excise (N.T.), dated 5th June, 2008 was published in the Gazette of India vide G S.R. 431 (E), dated the 5th June, 2008 and was last amended vide notification No. 28/2014-Central Excise (N.T.), dated 16th September, 2014 published in the Gazette of India, vide G.S.R. 652 (E), dated 16th September, 2014.